

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत _____ मुकाम _____
 वनाग _____
 किसम मुकदमा _____ नं. _____ सन् _____

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>हो स्वीकार दिने जाके श्री इन्तुड को श्री। जकार्द वकील वादीजण प्रार्थना पत्र को शरीर दिने जाके श्री इन्तुड को। प्रार्थना पत्रवाली को प्रस्तुत दिने तथा उभय पक्षों की वदल पर मन्त दिने जाया। प्रतिवादी को 19 2 के सिस्ट एक तरफ प्रार्थना दिने 16-12-14 को श्री इन्तुड जकार्द वकील प्रतिवादी के ई तरफ श्री प्रार्थना दिने जाके वाक प्रार्थना पत्र दिने 12-3-15 को प्रस्तुत दिने। जकार्द वकील प्रतिवादी को प्रस्तुत प्रार्थना के दर तक प्रस्तुत की इन करीब उ माह के दिने के प्रस्तुत दिने। एक प्रकार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल दिनांक है। नमः न्याय दिने ५ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 09 17 9 चार 15। जा. श्री. को 2001-रय. (र. को स्प. को) COST पर वकील दिने जाकर एक तरफ प्रार्थना को निरस्त करत हुए ई तरफ प्रार्थना दिने जाके को को ई दिने जाया है। वार-त प्रतिवादी को 19 2 के जकार्द इन्तुड पत्रवाली दिने 9-5-17 को पेश है।</p>	
22-6-17	<p>पत्रवाली केसा...कुछादि...को पेश हुई। आगामी दिनांक...10:10:12...को पेश हों।</p>	
12-7-17	<p>पत्रवाली वाजस्य लोड नदाला जकार्द दिने पर पत्र इन्तुड/ वादीजण एवं प्रतिवादीजण के कम्पन वादतागिति/रिफ तागिति प्राप्त नहीं है। वादीजण को ५ उपार्थना वादीजण को 1 के वाजिकार रा. 1010 कम्पन वाक केसागी व वादीजण को ५ 2 मास वाक 510 इन्तुड वाक केसागी</p>	<p>नि 24/7/17</p>


उपखण्ड अधिकारी
 मंडल वा. मालवाड़ा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
हुकम

ने उपस्थित होकर एक शर्त पर प्रस्ताव दिया। कि
शांतिम पत्रावली दिया गया। वादीगण नं० 19 को उपस्थित
होकर प्रस्ताव शर्त पर बंद करती चली। शर्त
पर बंद डनी गयी। बंद के दौरान वादीगण ने प्रस्ताव
पर के दो प्रकार काड पर निर्णय दिया जाते ही
दस्तावेज ही।

के पत्रावली का हवलदार दिया गया। शर्त पर
ही बंद पर गण दिया गया। ज्ञान दिन के प्रस्ताव
पर के स्वीकार दिया जाकर वादीगण को
काड पर के दो प्रकार पर निर्णय दिया जाता है कि
जो बंदवादिगण पत्तन एतद्वर रकबादिगण वदसीम मांडल
के स्थित हाम कावली नं० 1728, 1729, 1730, 1731
व 1732 काड दिया उ रकबा 12 कीका 17 बिसका शर्त
का सीमांकन किया जाते का दोकेका दिया जाता है।
सीमांकन किया जाते के दौरान यदि ~~दो~~ नकार के
ज्यादा जमीन काती है कि वह शर्त वादीगण केके के लिए
लेधार है इसी कारण पर वादीगण का काड पर निर्णय
दिया जाता है सीमांकन किया जाते हेतु द्वापसी राजीनामा
ही फेले जाते पालना हेतु वदसीमकार मांडल को निर्णय
इत किया जाके। पत्रावली केकम शुभम ही जाड नदपतन
कार्यवाही है!


उपखण्ड अधिकारी
मांडल मिला भीलवाड़ा